कार्यालय, भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनायें, जयपुर।
(जयपुर विकास प्राधिकरण – जयपुर)

क्रमांक: भू.अ./नवि./91/------- दिनांक:- 17.6.91

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को आवास योजनाओं के निर्माण व विकास कार्य के क्रियान्वयन हेतु ग्राम सीनावाला की भूमि अवाप्ति बाबत (पृथ्वीराज नगर योजना)

मुकदमा नम्बर:-

1. 641/88
2. 643/88
3. 647/88
4. 694/88
5. 703/88

:: अ वा र्ड ::

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1) की धारा-4 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना प-6(15)नविआ/II/87 दिनांक 6.1.1988 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 7 जुलाई, 1988 को कराया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा धारा-5-ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा-6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा-6 का गजट प्रकाशन प-6(15)नविआ/3/87/दिनांक 28.7.89 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र [illegible] जुलाई, 1989 को किया गया।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा-6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम सीनावाला तहसील जयपुर में अवाप्तशुदा भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गई है :-

प्रशासित अधिकारी
विकास योजनायें
जयपुर

क्र.सं.	मुकदमा नं०	खसरा नं०	अवाप्तिशुदा भूमि का रकबा बी. बि.	नाम खातेदार/हितदार
1.	2.	3.	4.	5.
1.	641/88	260	17-07	नारायण पु. [illegible], चन्दा पु. [illegible], [illegible] पु. [illegible], [illegible] पु. चन्दा 4/5

--2/पर--

1.	2.	3.	4.	5.
				सीताराम पु॰ रामनाथ, रामसहाय पु॰नन्दा, मोहन पु॰ लक्ष्मण, भगवान सहाय पु॰चन्दा 1/5 जाति मीना सा॰ देह
		284	05-19	उपरोक्त – नारायण खातेदार ख॰न॰268
2.	643/88	270	00-05	हरनन्दा, भगवान पि॰ लादू 1/4 जगन्नाथ पु॰ भोरिया 1/4 लादू पि॰रामस्या 1/8 लादू पु॰ रामजीलाल 1/8 रामपाल पु॰रामचन्द्र, लादू पु॰ राधू, नारायण पु॰ छितर 1/4 मीना सा॰देह
3.	647/88	278	01-06	गुल्ला, छूट्टी पि॰चन्दा मीना सा॰ देह
		282	01-08	उपरोक्त
		301/450	00-04	
4.	694/88	419 मिन	00-10	लादू पु॰ श्योचन्दा, गुल्ला, छूट्टी पु॰चन्दा 2/3 व 1/3 में से नारायण पु॰ श्योनारायण 1/5 नानगा पु॰ गंगाराम, मंगला पु॰भोमा, गुल्ली बेवा लक्ष्मा मीना 1/5, जगनारायण पु॰गणेश, रेवड़ पु॰घासी, भोरा पु॰चन्दा, रामनारायण पु॰धोंधू 1/5, ग्यारसा, छोटा पु॰रामदेव 1/5 लादू पु॰रामदेव दत्तक भूरा मीना 1/5 दर पि॰ 1/3 मी॰
5		420 मिन	07-04	भगवान सहाय पु छूला, कल्याण पु॰सांवता, रामेश्वर दत्तक पु॰लादू रामचन्द्र पु॰श्योबक्स, नेन्च्या पु॰भोरिया, रामचन्द्र पु॰गंगाबक्स, मंगला, रामकुमार पि॰शिवदान, बक्सा पु॰जीता हरनन्दापुत्र लादू, सांवता, रामेश्वर, राम- नारायण पु॰भगवाना, बाबूलाल पु॰भगवाना, प्रताप, गंगासहाय, नारायण, दामोदर, बोदूराम पु॰ जगन्नाथ, गोविन्दराम, घासी, पु॰भैरू, लादू पु॰ राधू, लादू पु॰ गणेश, गुल्ला, छूट्टी, पि॰चन्द व श्रीमती जमना के स्थान पर नारायण पुत्र श्योनारायण 1/5 नानगा पु॰गंगाराम, मंगला पुत्र भोमा, गुल्ली बेवा लक्ष्मा 1/5रामनारायण पु॰ गणेश, रेवड़ पु॰घासी, भोरा पु॰चन्दा, राम- नारायण पु॰धोंधू 1/5ग्यारसा, छोटा पि॰रामदे 1/5 लादू पु॰रामदेव दत्तक भूरा मीना 1/5, जाति मीना सा॰देह

----3/पर----

1.	2.	3.	4.	5.
5.	703/88	284/503	02-11	नारायण पुत्र श्योनारायण, चन्दा पुत्र दूधा गोड़ू डालू पिता रामु, नानगा पुत्र गंगारवह व गंगला, पुत्र चन्दा 4/5 सीता राम पु. रामनाथ, रामसहाय पुत्र चन्दा, मोहन पुत्र लक्ष्मण, भगवान सहाय पुत्र चन्दा 1/2 मीना ना. देह

मुकदमा नम्बर 641/88 खसरा नम्बर 268 रकबा 17 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 284 रकबा 05 बीघा 19 बिस्वा।

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 268, 284 नारायण पुत्र श्योनारायण, चन्दा पुत्र दूधा, गोड़ू डालु पिता रामु, नानगा पुत्र गंगाराम, गंगला पुत्र चन्दा 4/5 सीताराम पुत्र रामनाथ, रामसहाय पुत्र चन्दा, मोहन पुत्र लक्ष्मण, भगवान सहाय पुत्र चन्दा 1/5 कौम मीना ना. देह के नाम पर खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितधारान के नाम नोटिस दिनांक 21.8.90 को जारी किये गये। जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 4-10-90 व 1.10.90 को तामिल कराये गये। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 7.3.91 को नोटिसों को रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा जारी किये गये। फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 30.4.91 को खातेदार डालु पुत्र रामु उपस्थित हुआ और क्लेम पेश किया। अन्य खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए और नाही कोई क्लेम पेश किये। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। तदुपरान्त दिनांक 3.6.91 को नवभारत टाईम्स व दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिसों का प्रकाशन कराया गया। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान डालु पुत्र रामु के अलावा कोई भी उपस्थित नहीं हुए। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। खातेदार डालु पुत्र रामु द्वारा निम्न प्रकार से क्लेम प्रस्तुत किया है :-

(1) यह है कि भूमि खसरा नम्बर 268 रकबा 17 बीघा 07 बिस्वा व खसरा नं. 284 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा में प्रार्थी उम्मीदवार डालु पुत्र रामु मीना का पांचवा हिस्सा है जिस पर प्रार्थी उम्मीदवार निम्नानुसार अर्से दराज से कब्जा काश्त में चला आ रहा है तथा भूमि प्रार्थी की उक्त हिस्सा (पांचवा) अपनी होल्डिंग से आरक्षित है व मौके पर पानी के कुवें तथा विभिन्न पेड़ जैसे बबूल, खेजड़ा आदि के पेड़ बाड़े पर स्थित है।

(2) यह है कि प्रार्थी का खेत अजमेरी गेट से 12 किलोमीटर के भीतर है जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के क्षेत्राधिकार में पड़ता है। प्रार्थी के उक्त खेत से लगती हुई अन्य खेती की भूमियाँ सम्बन्धित खातेदारों द्वारा 1,75,000 रुपये प्रति बीघा की दर से बेची गई है तथा विभिन्न गृह निर्माण सहकारी

क्रमशः——— पेज 4/पर ———

परिनियमों द्वारा प्रति मण 150/- रु. से 200/- रु. की दर से बेची गई है । जिसके अनुसार प्रार्थी की समस्त व खाता की भूमि मय है । में वर्णित भूमि का मुआवजा रुपया 150/- रु. से 200/- रु. प्रति मण-से-बिघा-आकलन निर्धारण किया जाकर प्रार्थी को दिलवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है ।

(3) यह है कि प्रार्थी कृषक व उसके भाई की शामिल में रहते हैं व परिवार में लगभग 15 सदस्य हैं अतः भूमि अवाप्त किये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी के परिवार को निवास के लिए कम से कम 1,500 वर्ग मीटर का प्लाट उक्त भूमि के एवज में से इसी भूमि में से दिया जाना न्यायोचित है ।

(4) यह कि प्रार्थी कृषक एक किसान है जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत खेती बाड़ी है तथा प्रार्थी मुआवजे की प्राप्त राशि से अन्य कृषि भूमि खरीदकर अपना गुजारा करेगा । अतः दिया जाने वाला मुआवजा राशि एक मुश्त प्रदान की जावे तथा प्रार्थी अन्य भूमि खरीदने में सक्षम हो सके (प्रार्थी मृतक मोटू (नाबालिग व सह खातेदार) का छोटा भाई शामिल है अतः उसकी मुआवजा राशि भी प्रार्थी को दिलवायी जावे ।

अतः उपरोक्त क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि अवाप्त अंकित भूमि खसरा नम्बर 268 रकबा 17 बिघा 7 बिस्वा व खसरा नं० 284 रकबा 5 बिघा 15 बिस्वा का उचित किस्म का मुआवजा उपरोक्त वर्णित ब्यौरा के अनुसार आकलन किया जाकर दिलवाया जावे व एक प्लाट 1500 वर्ग मीटर अतिरिक्त दिलवाया जावे ।

स.नि.प्रा. के अभिभाषक का मौखिक कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा जो क्लेम प्रस्तुत किया है वह अत्याधिक है । भूमि की बाजार दर के लिये सबूत में कोई ठोस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है और न ही पेड़-पौधे व स्ट्रक्चर के लिये कोई रजिस्टर्ड वेल्युअर से प्रमाणित तखमीना भी प्रस्तुत किये है । भूमि की बाजार दर 25,000/- रु. प्रति बीघा की दर से अधिक नहीं है । क्लेम बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया है जो मान्य योग्य नहीं है । हम स.नि.प्रा. के कथन से सहमत है । अतः यह क्लेम अस्वीकार है ।

प्रार्थी ने क्लेम में छोटे भाई मोटू को हक बताया है और उसके हिस्से क्लेम की की मांग की है । लेकिन मृतक मोटू के सम्बन्ध ~~में कोई ठोस सबूत~~ पेश नहीं किये है इसलिए इसकी मान्यता नहीं है। हम स.नि.प्रा. के अभिभाषक के इस कथन से सहमत है ।

क्रमशः ——— पेज 5 पर ———

मुकदमा नम्बर 643/90 खसरा नम्बर 270 रकबा 05 बिस्वा :-

खसरा के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 270 , बरनन्दा, भगवान पिता लादू 1/4 जगन्नाथ पुत्र मोतिया 1/4 लादू पिता रामसुख 1/8 लादू पुत्र रामजीलाल 1/8 रामनाथ पुत्र रामचन्द्र , लादू पुत्र राधु , नारायण पुत्र किशना 1/4 मीना सा०देह के नाम खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान के नाम नोटिस दिनांक 21-6-90 को जारी किये गये जो तामील कुनन्दा द्वारा दिनांक 22-9-90 को तामील कराये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 7-3-91 को नोटिसों को रजिस्टर्ड ए०डी० द्वारा जारी किये गये फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 15-5-91 को खातेदार लादू पुत्र राधु उपस्थित हुए लेकिन क्लेम पेश नहीं किया , समय चाहा जो दिया गया। अन्य खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 27-5-91 को खातेदार लादू पुत्र राधु उपस्थित हुए और क्लेम पेश किया अन्य खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई क्लेम पेश किया। तत्पश्चात दिनांक 3-6-91 को नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्रों के माध्यम से नोटिसों का प्रकाशन कराया गया। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान (लादू पुत्र राधु के अलावा) उपस्थित नहीं हुए। खातेदार लादू पुत्र राधु के द्वारा निम्न प्रकार से क्लेम प्रस्तुत किया है :- ---

1. यह है कि भूमि खसरा नम्बर 270 रकबा 05 बिस्वा खातेदारी प्रार्थी के हक व अधिकार में है जिस पर मिन प्रार्थी जरिये निम्नानुसार बरानी से कृषि कार्य में चला आ रहा है तथा भूमि प्रार्थी को उक्त बिस्वा कच्ची होती है आराजी है व मौके पर पानी के कुंये तथा बिजली की वेयुत , कूआ आदि के पेड़ मौके पर स्थित है।

2. यह है कि प्रार्थी का उक्त खेत आगरा रोड से 12 किलोमीटर के भीतर को जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के क्षेत्राधिकार में पड़ता है प्रार्थी के उक्त खेत से लगती हुई अन्य खेती की भूमियां सम्बन्धित खातेदारों द्वारा 1,75,000/-रु० प्रति बीघा की दर से बेची गई है तथा विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा 150/- रु० से 200/- रु० प्रति गज की दर से बेची गई है जिसके अनुसार प्रार्थी की कृषि व बारानी की भूमि का मू० । में वर्णित भूमि का मुआवजा 150/- रु० से 200 रु० प्रति वर्ग गज निर्धारित किया जाकर प्रार्थी को दिलवाया जावे , जो न्यायोचित व आवश्यक है।

3. यह है कि प्रार्थी गुजारा एक किसान है जिसकी आजीविका का मुख्य साधन खेती-बाड़ी ही है तथा प्रार्थी मुआवजे स्वरूप प्राप्त राशि से अन्य कृषि भूमि खरीद कर अपना गुजारा करेगा। अतः दिये जाने वाला मुआवजा राशि एकमुश्त अदा कराई जावे जिससे प्रार्थी अन्य भूमि खरीदने में सक्षम हो सके।

-----6/पर-----

अतः उपरोक्त क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि अवाप्ति अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 270 के रकबा 5 बिस्वा का मुआवजा उपरोक्त वर्णित मांग के अनुसार कायम किया जाकर दिलवाया जावे व राशि एक साथ दिलवाई जावे ।

जा.वि.प्रा. के अभिभाषक का कहना है कि खातेदार द्वारा जो क्लेम प्रस्तुत किया है वह अत्यधिक है। भूमि की बाजार दर के लिये सबूत में कोई ठोस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं ना ही पेड़-पौधे व स्ट्रक्चर्स के लिये कोई रजिस्टर्ड वैल्युअर से प्रमाणित तखमीना ही प्रस्तुत किया है । भूमि की बाजार दर 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से अधिक नहीं है । क्लेम बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया जो ग्राह्य योग्य नहीं है । हम जा.वि.प्रा. के अभिभाषक के कथन से सहमत है अतः यह क्लेम अस्वीकार है।

मुकदमा नम्बर 647/88 खसरा नम्बर 278 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा , खसरा नम्बर 282 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा ,खसरा नम्बर 301/450 रकबा 04 बिस्वा :.

मुकदमा हाजा धारा-6 के तहत नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 278, 282, 301/450 गुलाब, बद्री पिसर चन्दा मीना सा. देह के नाम पर खातेदारी दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान के नाम नोटिस दिनांक 21.8.90 को जारी किये गये जो तामिल मुताबिक द्वारा दिनांक 1.10.90 को तामील करवाये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये । दिनांक 7.3.91 को खातेदारान/हितदारान के नाम से नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. जारी किये गये परन्तु वो उपस्थित नहीं हुये । जिसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । दिनांक 1.5.91 को देना बैंक ने एक पत्र पेश किया जिसमें खातेदार गुलाब, बद्री पुत्र चन्दा मीना के नाम 9,190/- रुपये बकाया बताये हैं तथा दिनांक 8.5.91 को देना बैंक की ओर से पुनः उपस्थित हुये और गुलाब व बद्री पुत्र चन्दा मीना की ओर देना बैंक के बकाया राशि रुपये 9,190/- रुपये बताये लेकिन बैंक द्वारा ऋण पत्र सम्बन्धित दस्तावेज पेश नहीं किये हैं । (बल्कि खातेदारान का घोषणा-पत्र जो बैंक अधिकारियों द्वारा ही तस्दीक से पेश किये गये हैं । घोषणा में गुलाबनारायण , बद्री पुत्र चन्दा का नाम व अंकित है लेकिन घोषणा-कर्ता गुलाबनारायण ही है। अतः ~~...~~ बैंक यदि भूमि के ~~...~~ सम्बन्धित दस्तावेजात पेश कर देवें तो गुलाबनारायण, बद्री पुत्र चन्दा को प्राप्त होने वाले मुआवजे राशि में से रुपये 9,190/- रु. प्राप्त करने के अधिकारी होंगे । अगर बैंक द्वारा ऋण पत्र सम्बन्धित दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे तो नियमानुसार खातेदारान / हितदारान को मुआवजे का भुगतान कर दिया जावेगा ।

अवाप्ति अधिकारी
विकास योजनाएं
जयपुर

मुकदमा नम्बर 694/88 खसरा नम्बर 419 मिन रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 42[illegible] मिन रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा :.

धारा-6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 419 मिन, 420 मिन डागु पुत्र रघोनन्दा, गुमान, भूरो पुत्र नन्दा 2/3 व 1/3 में नारायण पुत्र रघोनारायण 1/5 नानगा पुत्र गंगाराम, मुंगा पुत्र मोता, गुमानी बेवा लक्ष्मा मीना 1/5 रामनारायण पुत्र गणेश रेखू पुत्र धारसी, भौरा पुत्र नन्दा, रामनारायण पुत्र धीयु 1/5, ग्यारसा, छोटू पुत्र रामदेव 1/5, डागु पुत्र रामदेव दत्तक पुत्र मोता 1/5 कर कि. 1/3 मी. के नाम पर खातेदारी दर्ज है। खसरा नम्बर 420 मिन, भगवान सहाय पुत्र गुमान, कल्याण पुत्र नंदलाल, रा[illegible] दत्तक पुत्र माडू, रामचन्द्र पुत्र रघोनन्दन, नेनूराम पुत्र [illegible] मोरया, रामचन्द्र पुत्र गंगाबक्स [illegible], रामकुमार पिता [illegible], कजोड पुत्र जोता, हरनन्दा पुत्र माडू, नंदलाल, [illegible], रामनारायण पुत्र भगवाना, [illegible] पुत्र भगवाना, गुलाब, गंगासहाय, नारायण, दामोदर, बोदूराम, पुत्र जगन्नाथ, गोविन्दराम, धारसी पुत्र भैरू, डागु पुत्र राधू, मादू पुत्र गणेश, गुमान, भूरो पिता नन्दा व [illegible] के स्थान पर नारायण पुत्र रघोनारायण 1/5, नानगा पुत्र गंगाराम, मंगल पुत्र मोता, गुमानी बेवा लक्ष्मा 1/5 रामनारायण पुत्र गणेश, रेखू पुत्र धारसी, भौरा पुत्र नन्दा, रामनारायण पुत्र धीयु 1/5 ग्यारसा, छोटू पिता रामदेव 1/5 डागु पुत्र रामदेव दत्तक पुत्र मोता 1/5 जाति मीना सा. [illegible] के नाम पर खातेदारी दर्ज है। भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा- 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान के नाम नोटिस दिनांक 15.9.90 को जारी किये गये जो [illegible] दिनांक 4.1.91 को [illegible] कराये गये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुवे। जिससे [illegible] कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 27.3.91 को खातेदार डागु पुत्र राधू उपस्थित हुआ और एक [illegible]-पत्र प्रस्तुत किया जो [illegible] हेतु [illegible] दिनांक 30.4.91 को खातेदार डागु पुत्र राधू उपस्थित हुआ और क्लेम पेश किया। अन्य खातेदारान /हितदारान उपस्थित नहीं हुवे जिनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। खातेदार डागु पुत्र राधू के द्वारा निम्न प्रकार से क्लेम प्रस्तुत किया है:-

(1) [illegible] भूमि खसरा नम्बर 420 रकबा 113 बीघा 04 बिस्वा में [illegible] डागु पुत्र राधू मीना का 1/16 [illegible] हिस्सा है जिस पर [illegible] निम्नानुसार [illegible] है [illegible] भूमि [illegible] है व [illegible] हैं।

(2) [illegible] 12 किलोमीटर के [illegible] है [illegible] में [illegible] 1,75,000/- रुपये [illegible] 150/- रुपये से 200/- रुपये की दर से बेची [illegible] हैं जिसके अनुसार

--- --8/पर------

प्रार्थी को कब्जे व काश्त की भूमि मय मकान । मैं वर्णित भूमि का क्लेम रुपया 150/रुपये से 200/- रू प्रति वर्ग गज निर्धारित किया जाकर प्रार्थी को दिलवाया जाना न्यायोचित व उचित आवश्यक है ।

(3) यह कि प्रार्थी उजरदार व उसके भाई जो शामिल में रहते है, के परिवार में लगभग 15 सदस्य हैं अतः भूमि अवाप्त किये जाने की सूरत में प्रार्थी के परिवार को निवास के लिये कम से कम 1500 वर्ग मीटर का एक प्लाट उक्त भूमि के बदले में इसी भूमि में से दिया जाना न्यायोचित है ।

(4) यह है कि प्रार्थी उजरदार एक किसान है जिसकी आजीविका का एक मुख्य स्रोत खेती-बाड़ी ही है तथा मुआवजे स्वरूप प्राप्त राशि से अन्य कृषि भूमि खरीद कर अपना गुजारा करेगा । अतः दिये जाने वाला मुआवजा राशि उपयुक्त प्रदान किया जावे तथा प्रार्थी अन्य भूमि खरीदने में सक्षम हो सके ।

अतः उजरदारी, क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि अवाप्ति अन्तर्गत खसरा नम्बर 420 के रकबा 113 बीघा 4 बिस्वा का 1/16 (सोलहवां हिस्सा) का मुआवजा उपरोक्त वर्णित मदात के अनुसार कायम किया जाकर दिलवाया जावे व एक प्लाट 1500 वर्ग मीटर का आवंटित करवाया जावे ।

आ.प्रा. के अभिभाषक का मौखिक कथन है कि खातेदार द्वारा जो क्लेम प्रस्तुत किया है वह एक अत्यधिक है। भूमि की बाजार दर के लिये सबूत में कोई ठोस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं और ना ही पेड़-पौधे व स्ट्रक्चर के लिये कोई रजिस्टर्ड मूल्यांकक से प्रमाणित तखमीना ही प्रस्तुत किया है। भूमि की बाजार दर 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से अधिक नहीं है। क्लेम बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया है जो मान्य योग्य नहीं है । प्रार्थी को भू-खण्ड देना संभव नहीं है क्योंकि इससे पृथ्वीराजनगर योजना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम आ.प्रा. के अभिभाषक के कथन से सहमत हैं अतः यह क्लेम अस्वीकार है।
[illegible] अस्वीकार है।

सहायक निदेशक
जयपुर

दिनांक 1.5.91 को देना बैंक द्वारा एतराज प्रस्तुत कर रामेश्वरलाल मीणा पुत्र नाथूराम मीणा की ओर 22,191 रुपये बकाया बताये हैं । दिनांक 10.5.91 को देना बैंक की ओर से श्री कुमावत उपस्थित हुये और उन्होंने रामेश्वरलाल पुत्र नाथूराम मीणा जाति की ओर 22,191/- रुपये बकाया बताये हैं । पत्र के साथ दिये गये ऋण की एक प्रतिलिपि जिसमें रामेश्वरलाल मीणा खसरा नम्बर 420 रकबा 113 बीघा 04 बिस्वा पर 24,000/- रुपये ऋण देना बताया गया है। धारा -6 के गजट नोटिफिकेशन में रामेश्वर दत्तक पुत्र नाथू के नाम पर खातेदारी दर्ज है। अतः बैंक के द्वारा जो दस्तावेज पेश किये हैं ~~वह हम नाम से नहीं है, मामला प्रथक साबुत पहुंचता है।~~ फिर भी यदि बैंक भूमि के स्वामित्व सम्बन्धित दस्तावेजात पेश कर देंगे तो रामेश्वर दत्तक पुत्र नाथू को प्राप्त होने वाले मुआवजे राशि में से रुपया 22,191/- रु.प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। अतः

अगर बैंक द्वारा बंधक-पत्र सम्बन्धी दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे तो नियमानुसार खातेदार को मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा।

दिनांक 27.3.91 को भी भागूराम उपस्थित हुये और धनीराम, गोविन्दराम पारसीराम, पिता भैंरुराम, रामलाल पिता रामचन्द्र की ओर से एक प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत किया जिसके साथ एक शपथपत्र, फोटो स्टेट की प्रति [illegible] से प्रमाणित के पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम सीमालवास के खसरा नम्बर 420 किता रकबा 113 बीघा 04 बिस्वा है इसमें से 1/6 हिस्सा भूमि का मालिक श्री भागूराम, [illegible] सीमा से निम्नलिखित व्यक्तियों को धनीराम, पारसीराम, रामलाल द्वारा [illegible] 1982 में रजिस्ट्री द्वारा [illegible] कर दी गई थी [illegible] द्वारा जो धारा 9 व 10 के नोटिस जारी हो रहे हैं वह अभी भी श्री भागूराम पुत्र [illegible] के नाम से ही जारी किये जा रहे हैं जबकि खसरा नम्बर 420 किता रकबा 113 बीघा 04 बिस्वा है [illegible] 1982 से हम तीनों ही मालिक चले आ रहे हैं। अतः [illegible] दिनांक 3.6.91 को [illegible] धारा 9 व 10 के गोविन्दराम नोटिसों का प्रकाशन कराया गया लेकिन हितधारान धनीराम/पारसीराम, रामलाल, उपस्थित नहीं हुये और ना ही कोई दस्तावेजात राजस्व सम्बन्धित व क्लेम पेश किया जिसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। [illegible]

अभि.प्रा. के अभिभाषक ने इस सम्बन्ध में कोई लिखित में उजर प्रस्तुत नहीं किया लेकिन मौखिक रूप से कहा है कि हितधार व्यक्ति धनीराम, गोविन्दराम, पारसीराम पिता भैंरुराम, रामलाल पिता रामचन्द्र को हितधार व्यक्ति रजिस्ट्री के आधार पर मानते हैं किन्तु इन्होंने राजस्व सम्बन्धी कोई प्रमाण-पत्र व दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये हैं जिनको अवार्ड की राशि में से राजस्व सम्बन्धी दस्तावेजात पेश करने पर ही नियमानुसार भुगतान किया जाना उचित होगा। हम अभि.प्रा. के अभिभाषक के कथन से सहमत हैं।

मुकदमा नम्बर 703/88 खसरा नम्बर 284/503 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा :-

धारा 6 के तहत नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 284/503 नारायण पुत्र [illegible], [illegible] पुत्र [illegible], मोडू, भागू पिता रामू [illegible], पुत्र गंगाराम, [illegible] पुत्र [illegible] 4/5, सीताराम पुत्र रामनाथ, रामसहाय पुत्र [illegible], मोहन पुत्र [illegible], [illegible] व [illegible] 1/2 सीमा रा. रेल के नाम पर खातेदारी दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितधारान के नाम नोटिस दिनांक 15.9.90 को जारी किये गये जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 4.1.91 को तामिल कराये गये एवं मौके पर चस्पा भी कराया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 27.3.91 को खातेदार भागू पुत्र रामू उपस्थित हुआ और क्लेम पेश करने के लिये समय चाहा जो दिया गया। अन्य खातेदारान / हितधारान उपस्थित नहीं हुये।

दिनांक 30.4.91 को खातेदार कालू पुत्र राजू उपस्थित हुए और बयान पेश किया। अन्य खातेदार/हितधारक उपस्थित नहीं हुए जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। खातेदार कालू पुत्र राजू के द्वारा निम्न प्रकार से बयान प्रस्तुत किया है :——

(1) यह है कि खसरा नम्बर 284/503 भूमि रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा ग्राम [illegible] उर्फ [illegible] तहसील व जिला जयपुर में प्रार्थी [illegible] कालू पुत्र राजू जाति [illegible] का 1/5 हिस्सा [चौथाई हिस्सा] है जिस पर स्वयं प्रार्थी [illegible] निम्नानुसार [illegible] से काश्त करता चला आ रहा है तथा भूमि प्रार्थी की उक्त हिस्सा [चौथाई] उपजाऊ होने से आरक्षित है व मौके पर पानी के कुए तथा [illegible], [illegible] आदि के पेड़ स्थित है।

(2) यह कि प्रार्थी का उक्त खेत अजमेर रोड जयपुर से 12 किलोमीटर के अन्दर है जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के क्षेत्राधिकार में पड़ता है प्रार्थी के उक्त खेत से लगती हुई अन्य खेती की भूमियां सम्बन्धित खातेदारों द्वारा 1,75,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से विक्रय की गई है तथा [illegible] गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा भूमि 150/- रुपये से 200/- रुपये प्रति गज से बेची गई है जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत व काश्त की भूमि का [illegible]। [illegible] भूमि का मोल 150/- रुपये से 200/- रुपये प्रति गज निर्धारित किया जाकर प्रार्थी को दिलवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

(3) यह कि प्रार्थी [illegible] व उसके भाई जो शामिल में रहते हैं के परिवार के लगभग 15 सदस्य हैं अतः भूमि अवाप्त किये जाने की सूरत में प्रार्थी के परिवार की रिहायश के लिए कम से कम 1500 वर्ग मीटर का प्लाट उक्त भूमि के बदले में इसी भूमि में से दिया जाना न्यायोचित है।

(4) यह कि प्रार्थी [illegible] एक किसान है जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत खेती-बाड़ी ही है अतः प्रार्थी मुआवजे के रूप में प्राप्त राशि से अन्य कृषि भूमि खरीदकर अपना गुजारा करेगा। अतः दिये जाने वाला मुआवजा राशि एक मुश्त प्रदान [illegible] जावे ताकि प्रार्थी अन्य भूमि खरीदने में सक्षम हो सके। प्रार्थी [illegible] [मय खातेदार] का छोटा भाई व शामिल है अतः उसका हिस्सा भी प्रार्थी को ही दिलवाया जावे।

अतः [illegible] बयान प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रस्तावित [illegible] खसरा नम्बर 284/503 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा का मुआवजा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रदान किया जाकर दिलवाया जावे व एक प्लाट 1500 वर्ग मीटर का आवंटित फरमाया जावे।

[illegible] के [illegible] का कथन है कि खातेदार द्वारा जो बयान प्रस्तुत किया है वह अप्रमाणित है। भूमि की बाजार दर के लिए [illegible]

——11/पर——

ठोस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं और ना ही पेड़-पौधे व ट्यूबवैल के लिये कोई रजिस्टर्ड मूल्यांकनकर्ता से प्रमाणित तखमीना ही प्रस्तुत किया है। ग्राम की बाजार दर 25,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से अधिक नहीं है। क्लेम बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया है जो मान्य योग्य नहीं है। क्लेम में प्रार्थी के मुख्य गोपु {मय बगीचा} का मोटर गाड़ी व ट्रैक्टर तथा उनका किराया आदि की मांग की है। जिसके सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण-पत्र तथा उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः यह मान्य नहीं है। [illegible] आ.प्रा. के प्रस्तावक के कथन से सहमत हैं अतः यह क्लेम अस्वीकार है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 {1} के अन्तर्गत उपरोक्त प्रकरण में सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक 27.4.91 को जारी किया गया जो तामील कुनिन्दा द्वारा 2.5.91 को सम्बन्धित तहसील, पंचायत समिति, नोटिस बोर्ड, ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये गये व चस्पा कराया गया।

अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

मुआवजा निर्धारण :-

जहाँ तक पृथ्वीराजनगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-6 {15} नविआ/87 दिनांक 1.1.89 द्वारा मुआवजा की राशि निर्धारित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा कमेटी का गठन शासन सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था; लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजा की राशि का निर्धारण नहीं किया गया है इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक 11.2.91 द्वारा शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण सचिव, [illegible] को भी निवेदन किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी में मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करा-ली जावे। इसके उपरान्त समय समय पर आयोजित मीटिंग में भी मुआवजा निर्धारण के लिये निवेदन किया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारित अभी तक नहीं किया गया है। इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी काश्तकार को मुआवजा नेगोशियेशन नहीं किया गया है।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये हैं उनमें कृषि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा-4 के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्रियों द्वारा उक्त क्षेत्र में प्रचलित दर के अनुसार निर्धारण माना गया है। पृथ्वीराज नगरयोजना में धारा-4 का गजट नोटिफिकेशन जु. 1988 को हुआ था {7.7.1988} इसीलिये विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 7 जुलाई, 1988 को विभिन्न उप-पंजीयकों के यहाँ पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों के रजिस्ट्रेशन का ब्यौरा

---12/पर---

दर भी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है ।

उपरोक्त सभी प्रकरणों के अतर मन्दरत की भूमि के मुआवजे की मांग भी खाते-दार छाजू पुत्र रामू द्वारा अपने हिस्से की भूमि बाबत की गई है । इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा का कथन है कि कीमत जो मुआवजे की मांगी गई है वह बहुत अधिक है । हालांकि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा इसके आस-पास की भूमियों का मुआवजा 24,000/-रुपये प्रति बीघा की दर से निर्धारित किया गया है । अतः उक्त सभी प्रकरणों में भी 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से मुआवजा दिया जाना उचित होगा । छाजू के अतिरिक्त अन्य सभी खातेदारान /हितधारान के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है ।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधि-करण जिसके लिये भूमि अवाप्ति की जा रही है, को भी यह ज्ञात किया गया । —उपनिदेशक
डी.
के सचिव, ने अपने पत्र क्रमांक टी.आर./91/396 दिनांक 3.5.91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया है कि धारा -4 के गजट नोटिफिकेशन के समय ग्राम मीनावाला में 1,100/-रु. प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का पंजीयन हुआ था । इसलिये जहाँ तक उनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित है ।

हमने इस सम्बन्ध में उप पंजीयक एवं तहसीलदार, जयपुर के यहाँ से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि धारा -4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार (पूर्व) ज.वि.प्रा. ने अपने यू.ओ.नोट दिनांक 8.5.91 द्वारा उप-पंजीयक जयपुर के यहाँ से भी धारा -4 के गजट नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आस-पास की भूमि की मुआवजा राशि 24,000/-रुपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये एवं जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है । जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा ने कोई लिखित में जवाब नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24,000/-रुपये प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो उनको जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी । क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इस न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये हैं ।

अतः हम मामले में भी इस भूमि के मुआवजे की राशि 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा-4 के गजट नोटि-फिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिए दो वर्ष की समयावधि नियत है लेकिन, खातेदारान/हितधारान के धारा-9 व 10 के नोटिस तामील कुनिन्दा रजिस्टर्ड ए.डी. एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं होना व बतौर पेश नहीं करना इस बात का द्योतक है कि वे अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहते । इसलिये उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई ।

क्रमशः————13 पेज पर————

नगर विकास ...
जयपुर

जहाँ तक पेड़-पौधे, कुएँ, कुछ पक्के निर्माण एवं अन्य स्ट्रक्चर्स का प्रश्न है खातेदारान द्वारा कोई तख़मीना पेश नहीं किया गया है और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तख़मीने पेश किये गये हैं। ऐसी स्थिति में स्टेवार (यदि कोई हो) के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। इसका निर्धारण बाद में आवश्यक रूप से तकनीकी अनुमोदित तख़मीने प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार निर्धारण किया जायेगा।

इस प्रकार भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का भुगतान लिखित रूप से स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज पेश करने पर ही किया जायेगा। मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "अ" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23 (1-ए) एवं 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की उल्लेखित राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सोलेशियम एवं 12 प्रतिशत अति-रिक्त राशि भी देय होगी। इसका निर्धारण परिशिष्ट "अ" में मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है।

अतिरिक्त निदेशक (प्रथम) एवं सक्षम अधिकारी, नगर भूमि सीमा एवं कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सीमा में सम्मिलित हैं एवं अरबन अधिनियम 1976 से प्रभावित हैं लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अरबन अधिनियम की धारा-19 (3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं।

अतः यह अवार्ड आज दिनांक 17.6.91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है।

संलग्नः परिशिष्ट "अ" मय नक्शा [illegible]।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर

यह अपील ~~[illegible]~~ (सूचना) आयोग की [illegible]
को मूल आवेदन धारा 6(1) [illegible] किये बिना सूचना
आयोग को द्वारा अनुमोदित होकर प्राप्त
हुआ है। अतः यह अपील सूचना विभाग—
आयोग को संदर्भित [illegible] किया जाकर
वापस किया जाता है। अपील अधिनियम को
[illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] का [illegible] के
लिए [illegible] धारा 12(2) के [illegible]
से।

[illegible]
[illegible]
[illegible]

:-परिशिष्ट "ख" गणना तालिका ग्राम - सोनाथाला :-

क्र. 1.	मुकदमा नं. 2.	काश्तकार/हितदार का नाम 3.	खसरा नं. 4.	रकबा बी. बि. 5.	मुआवजा दर 6.	मुआवजा राशि 7.	सोलेशियम 30% 8.	अतिरिक्त 12% 9.	कुल योग 10.
1.	641/88	नारायण पु. श्योनारायण, नन्दा पु. धुला, बोदू, डालू पिसर रामू, नानगा पु. मंगाराम, मंगा पु. नन्दा 4/5 मोतीराम पु. रामनाथ, रामसहाय पु. नन्दा, मोहन पु. [illegible], भगवान, सहाय, पुत्र नन्दा 1/5 कौम मीना सा. देह	268	17-07					
		उपरोक्त	284	05-19					
				23-06	24,000/-	5,59,200/-	1,67,760/-	1,97,558/-	9,24,518/-
2.	643/88	हरनन्दा, भगवान पि. डालू 1/4 लक्ष्मण पि. मोतीराम 1/4 डालू पि. रामस्वरूप 1/8 नाडू पु. रामजीलाल 1/8 रामनाथ पु. रामचन्द्र डालू पु. रामू, नारायण पु. किशना. 1/4 मीना सा. देह	270	00-05	•	6,000/-	1,800/-	2,120/-	9,920/-
3.	647/88	धुला, बद्री, पि. नन्दा मीना सा. देह	278	01-06					
		उपरोक्त	282	01-03					
			301/458	00-04					
				02-18	•	69,600/-	20,880/-	24,589/-	92,969/-

भूमि अवाप्ति अधिकारी [illegible] परियोजना [illegible]

----2/पर----

9190/-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	694/88	बाबू-पु. रघोचन्दा, गुल्ला, बद्री पु. चन्दा 2/3 व 1/3 में से नारायण पु. रघोनारायण 1/3, नानका पु. गंगाराम, मंगला पु. मोना, गुल्ली बेवा भजना मोना 1/5 जयनारायण पु. गणेश, रेखू पु. घासी, मोरा पु. चन्दा, रामनारायण पुत्र चौथू 1/5 न्यारता, ओटू पु. रामदेव, 1/5 हरू पु. रामदेव दत्तक पुरा मोना 1/5 दर 13. 1/3 मी.	419 मिन	00-10	24,000/-	12,000/-	3,600/-	4,239/-	19,839/-
		भगवान सहाय पु. दुला, कल्याण पुत्र सांवता, राधेश्याम दत्तक पु. नाथू, रामचन्द्र पु. रघोबक्स, नेन्दया पुत्र चौरया, रामचन्द्र पु. मंगलचन्द, मंगला, राजकुमार पि. शिवदान, रामा पु. मीठा, हरनन्दा पु. नाथू, सांवता, राजेन्द्र, रामनारायण पु. भगवाना, बालूराम पु. भवनाना, पुनाप, मंगलसहाय, नारायण, दामोदर, बीरूराम पु. जगन्नाथ, गोविन्द दास यादव, पु. मैं, हरू पु. रामू, नाथू पु. गणेश, गुल्ला, बद्री शिवचन्दा व कामली बल्ला के स्थान पर नारायण पु. रघोनारायण 1/5 नानका पु. गंगाराम, मंगल पु. मोना गुल्ली बेवा भजना 1/5 जयनारायण पु. गणेश, रेखू पु. घासी, मोरा पु. चंदा रामनारायण पु. चौथू 1/5 न्यारता, ओटू पि. रामदेव 1/5 हरू पु. रामदेव दत्तक पुरा मोना 1/5 वर्णित मोना आ. देवकी ~~[illegible]~~	420 मिन	07-04	•	1,72,800/-	51,840/-	51,048/-	2,85,688/-

-22,192/-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	703/88	नारायणं पुत्र श्योनारायण, चन्दा पुत्र झूथा, मृतक गोदू, डालू पि. रामू, नानगापु. गुंगारामसंगला पुत्र चंदा 4/5 सीताराम पुत्र रामनाथ, राम सहाय पु. नंदा, सोहन पु. लक्ष्मण् भगवान सहाय पुत्र चंदा 1/2 मीना सा. देह	284/503	02-11	24,000/-	61,200/-	18,360/-	21,621/-	1,01,181/-

नोट:- 1. सोलेशियम 30 प्रतिशतकालम नम्बर8 8 पर मुआवजा राशि पर दिया गया है ।

2. अतिरिक्त राशि 12 प्रतिर्शत की गणना धारा -4§1§ की गजट दिनांक 7-7-88 से 17-6-91 तक की गई है ।

3. खातेदार डालू ने कौम गोदू जो उसका भाई है कि मृत्यु होना अंकित किया है अत: गोदू §मृतक§ के स्थान पर उसके भाई जायज वारिसान को नियमानुसार दस्तावेजात पेश करने पर अवार्ड में से राशि देय होगी ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर ।
भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर